न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

क्रमांक:– रीडर/2019/ दिनांक:–

:: आदेश ::

वाद संख्या 234/19 दर्ज दिनांक 05/8/19

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक प.9 ( ) भू.अ./एलआरसी/2019/4889 दिनांक 30.7.19 के माध्यम से डीआईएलआरएमपी के तहत धारा 131/136 के वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत पैरोकार तहसीलदार मुण्डवा द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1957 की धारा 131/136 के तहत अनुतोष चाहा गया। तहसीलदार मूण्डवा द्वारा प्रेषित प्रकरण व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणो की विषयवस्तु के अवलोकन पर आप द्वारा प्रेषित प्रकरण के संबंध में विधिक स्थिति इस प्रकार है:–

- राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 62 (III) में खसरा नम्बरान के एकीकरण संबंधी प्रावधान किये गये है, जो इस प्रकार है –
  " जब दूसरा उप विभाजन होता है तों डिनोमीनेटर संख्या उस खेत की जिसका फिर उप विभाजन किया जाता हो केवल न्यूमरेटर संख्या होगी। इस उदाहरण में हमको पहले 151/24, बाद में 185/151 और अन्त में 201/185 नम्बर दिये जायेगें। जिससे प्रत्येक से जरूरत के समय पुरानी संख्या आसानी से मालुम की जायेगी। अगर किन्हीं 31 व 32 नम्बर के खेतो को एक खेत में शामिल कर दिया गया हो तो नयी संख्या 153/31 और 32 होगी। क्योंकि 152 खेतों के रजिस्टर की आखिरी संख्या है। ______________ ।"
- राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 348 में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कर्तव्य यथाविहित किये गये है। इन प्रावधानों के अनुसार नियम 354 में तहसीलदार द्वारा गांव के नक्शे की गलतियों को सुधारने और ऐसे नक्शे को आदिनांक रखे जाने के प्रावधान है।
- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 114 में अधिकार अभिलेख की अर्न्तवस्तु के बारे में प्रावधान किये गये है और इस धारा की क्रियान्विति हेतु राजस्थान भू राजस्व (सर्वे रेकार्ड तथा सेटलमेंट) (सरकारी) नियम 1957 के नियम 23 के प्रावधान इस प्रकार है –
  " धारा 114 में उल्लेखित पंजिकाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित भी अधिकार अभिलेख के भाग होगें अर्थात
  1. कुआ, तालाब और सिचांई के साधनों पर अधिकार का विवरण
  2. दस्तूर गंवाई यदि अभिलिखित हो
  3. पासबुक
- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 गलतियों का शुद्धिकरण के प्रावधान इस प्रकार है –
  " भू अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकिय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रिति से शुद्ध कर सकेगा उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे, परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी जब तक कि पक्षकारों को हैतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हो।
- धारा 136 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये राजस्थान भू राजस्व (सर्वे रेकार्ड तथा सेटलमेंट) (सरकारी) नियम 1957 के नियम 26 क के प्रावधान इस प्रकार है –
  1. भू अभिलेख आधेकारी किसी लिपिकिय गलती और ऐसी किन्हीं गलतियों को जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में किया गया होना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे, प्ररूप 7 क में हितबद्ध पक्षकारों को यह निवेदन करने के लिये कि लिपिकिय गलती या गलती हो गई है, व्यतिशः या सम्यक रूप से अनुदेषित अधिवक्ता के माध्यम से उपसंजात होने की अपेक्षा करते हुए नोटिस देगा।
  2. नोटिस ऐसे व्यक्ति पर अधिनियम के अधीन विरचित राजस्व न्यायालय मेन्युवल में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार तामिल किया जायेगा।

सहायक कलक्टर (SDO), नागौर।

- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति क[illegible] के प्रावधान है। जिसके अनुसार सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात भू अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फिल्ड बुक रखी जायेगी [illegible] प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रति गांव या गांव के भाग, भू सम्पति या खेत की सीमाओं के सबपरिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फिल्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के माध्यम से तहसीलदार मूण्डवा द्वारा प्रेषित प्रकरणों में न तो अधिकार अभिलेख में रही त्रुटि का विवरण अंकित है और न ही नक्शा में की गई तरमीम में रही त्रुटि का कोई विवरण अंकित है। तहसीलदार मूण्डवा द्वारा प्रेषित प्रकरणों में अधिकार अभिलेख (जमाबंदी) में वर्तमान इन्द्राज सक्षम स्वीकृति पश्चात स्वीकृत नामान्तरकरण के आधार पर है। ऐसे इन्द्राजात को आप तब तक गलत इन्द्राज या त्रुटिपूर्ण इन्द्राज नहीं मान सकते जब तक कि ऐसे नामान्तरकरण विधिविरूद्ध व नियम विरूद्ध साबित नहीं हो जाये। इसी प्रकार नक्शे में भी तहसीलदार मूण्डवा द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत किये गये खसरा नम्बरान की कोई तरमीम नहीं की गई है, इसके बावजूद भी तहसीलदार मूण्डवा द्वारा इन प्रकरणों में नक्शे में शुद्धि चाही गई है जो कि धारा 131 की मूल भावना से आवरित नहीं होती है। इन प्रकरणों में तरमीम की अपेक्षित कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व(भू.अ.) नियम 1957 के नियम 62 या 354 के तहत तहसीलदार मूण्डवा द्वारा ही की जानी है। धारा 131 के प्रावधानों के अनुसार आप द्वारा की गई कार्यवाही में यदि कोई त्रुटि पायी जाती है या पक्षकार ऐसी त्रुटि रहने का आक्षेप करता है, उसी स्थिति में भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) के क्षेत्राधिकार से ही आदेश पारित किया जाना अपेक्षित होता है। अन्यथा स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही राजस्व अधिकारी की हैसियत से राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के तहत तहसीलदार द्वारा ही की जानी अपेक्षित है।

डीआईएलआरएमपी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस प्रकार बिना मस्तिष्क का प्रयोग कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने की श्रेणी में आता है व गंभीर दुराचरण की तारीफ में है। अतः तहसीलदार मूण्डवा के विरूद्ध उच्चस्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्काल प्रस्तावित कर दी जावे।

अतएव प्रकरण में उक्त कथनानुसार यह आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार मूण्डवा भू राजस्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं जो कि उक्त कथन में सुस्पष्ट है, के तहत इस प्रकरण का निस्तारण करें। इसी के साथ आपको यह भी निर्देश दिये जाते है कि आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर आप इस कार्य को निस्तारित कर डीआईएलआरएमपी कार्यक्रम को गति प्रदान करें

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
नागौर
(SDO), नागौर